परिपत्र संख्या 1075/01/2020-सीएक्स

F.No.267/78/2019/CX-8-Pt 111

भारत सरकार

वित्त मत्रांलय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

दिनांक 14 नवम्बर, 2020।

प्रति

(1) प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त (सीजीएसटी और सीएक्स), चंडीगढ़ जोन।

(2) प्रधान आयुक्त / आयुक्त, (सीजीएसटी और सीएक्स), जम्मू आयुक्तालय।

विषय: सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश 2020 दिनांक 13"' नवंबर, 2020- जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में पात्र घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा दाखिल करने की प्रक्रिया और इसके उसके बाद सत्यापन, आदि - के संबंध में।

मुझे आपका ध्यान भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), जीएसआर 715 (ई) दिनांक 13 "'नवंबर, 2020 में प्रकाशित सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2920, दिनांक 13" नवंबर, 2020 (इसके बाद उक्त आरओडी ओडर के रूप में संदर्भित) की ओर आकर्षित करने का निर्देश हुआ है। (प्रतिलिपि संलग्न)।

2 सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 के तहत अपने संचालन की मूल अवधि के दौरान, इंटरनेट सेवा में व्यवधान के कारण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में करदाताओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए, , केंद्र सरकार ने पात्र घोषणाकर्ताओं द्वारा, 15 जनवरी, 2020 तक उक्त योजना के

तहत पात्र मामलों के संबंध में, फाइलिंग की तारीख 31 दिसंबर, 2020 बढ़ाने का फैसला किया है ।

3. उक्त आरओडी आदेश द्वारा इन केंद्र शासित प्रदेशों के करदाताओं के लिए घोषणा पत्र दाखिल करने और सत्यापन आदि के लिए निम्नलिखित समय-सीमा प्रदान की गई है।

एक। सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियम, 2019 के नियम 3 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा को दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2020 को या उससे पहले होगी;

बी। वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 की उप-धारा (1) और (4) के तहत विवरण जारी करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2021 को या उससे पहले होगी;

सी । वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 की उप-धारा (2) के तहत देय राशि का अनुमान जारी करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2021 से पहले होगी;

डी । वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 की उप-धारा (5) के तहत घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि के भुगतान की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2021 को या उससे पहले होगी।

4. घोषणा को भरना और उसके बाद उसका सत्यापन, आदि वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) के अध्याय V के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के और उक्त आरओडी आदेश द्वारा प्रदान की गई समय-सीमा के अनुसार अनुसार किया जाएगा I

5. व्यापार, उद्योग और क्षेत्र की संरचनाओं को उपयुक्त रूप से सूचित किया जा सकता है।

6. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो, तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

(माजिद खान)
अवर सचिव, भारत सरकार